न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

मालसिंह बनाम गुमान कंवर

तारीख हुक्म	दावा हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु.नं. 100/2023
27.12.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 29 ता 32 की सम्यक तामिल हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकुलाय उभय पक्षकारान के निवेदन पर प्रकरण में अंतिम बहस बहुपक्षीय सुनी जाकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् इस्तकरार हक, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर राजीनामा को डिक्री का भाग बनाते हुए डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। Rathore 27/12/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर(नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
100 / 2023	2023 / 196	27.06.2023	27.12.2023

उनवान प्रकरण

1. मालसिंह पुत्र हनुमानसिंह आयु 45 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकरराजस्थान।

—वादी—

बनाम

1. गुमान कवंर पुत्री स्व0 सुरजनसिंह
2. कैलाश कंवर पत्नी स्व0 झाबरसिंह
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 झाबरसिंह
4. कर्णसिंह पुत्र स्व0 झाबरसिंह
5. नन्दसिंह दत्तक पुत्र स्व0 देवीसिंह जाईन्दा पुत्र लक्ष्मणसिंह
6. दशरथसिंह पुत्र स्व0 लक्ष्मणसिंह
7. किरण कंवर पत्नी स्व0 दीनसिंह
8. भवानीसिंह पुत्र स्व0 दीनसिंह
9. शंकरसिंह पुत्र स्व0 दीनसिंह
10. किशनसिंह पुत्र स्व0 दीनसिंह
11. अन्तर कंवर पुत्री स्व0 दीनसिंह
12. कमोद कंवर पुत्री स्व0 दीनसिंह
13. कर्णसिंह पुत्र स्व0 प्रहलादसिंह
14. बबलूसिह पुत्र स्व0 प्रहलादसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

15.अनिता कंवर पुत्री स्व0 प्रहलादसिंह

16.पिंकी कंवर पुत्री स्व0 प्रहलादसिंह

17.दरियाब कंवर पत्नी स्व0 भागीरथसिंह

18.श्योदानसिंह पुत्र स्व0 भागीरथसिंह

19.भैरूसिंह पुत्र स्व0 भागीरथसिंह

20.सुप्यार कंवर पुत्री स्व0 भागीरथसिंह

21.विनोद कंवर पुत्री स्व0 भागीरथसिंह

22.नरेश कंवर पत्नी स्व0 मूलसिंह

23.जीतूसिंह पुत्र स्व0 मूलसिंह

24.सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 मूलसिंह

25.सुनीता कंवर पुत्री स्व0 मूलसिंह

26.मोहनसिंह पुत्र स्व0 सुरजनसिंह

27.रिसाल कंवर पत्नी स्व0 लक्ष्मणसिंह

28.सरवनसिंह उर्फ श्रवणसिंह पुत्र स्व0 रामकुंवार समस्त जाति राजपूतनिवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

29.चान्सन प्रो0 प्रा0लि0 34/1 डबल स्टोरी, अशोक नगर नईदिल्ली जरिये डायरेक्टर दलजीतसिंह पुत्र जसपालसिंह जाति साहनी

30.पटवारी पटवार हल्का बुर्जा ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिलासीकरराजस्थान

31.भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

32.शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा ... तहसीलश्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

——प्रतिवादीगण ——

33. रूपकंवर पत्नी स्व0 हनुमानसिंह

34.प्रेम कंवर पुत्री स्व0 हनुमानसिंह

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

35.कंचन कंवर पुत्री स्व0 हनुमानसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—तरतीबी प्रतिवादीगण—

उपस्थित :—

श्रीअनिल यादव एड0,वादी अभिभाषक।

श्री बजरंग लाल यादवएड0, प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 अभिभाषक।

दावा बाबत ईस्तकरार हक, बंटवारा,स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड
(अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगणके इस आशय से प्रस्तुत किया किभूमि खसरा नम्बर 6509, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6693, 6694, 6695, 7595 कुल किता 12 कुल रकबा 5.02 हैक्टर अलमशहुर ढल्या का ढेर तन् ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) मे स्थित हैं। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में 59/251 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 29 चान्सन प्रो0 प्रा0 लि0 के नाम दर्ज हैं व शेष हिस्सा कि खातेदारी पक्षकारान व उनके बुजुर्गान के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। पक्षकारान एक ही सजरा खानदान परिवार से हैं अलावा प्रतिवादी नम्बर 29 से। पक्षकारान एक ही परिवार के होकर इन्द्रसिंह उर्फ इन्द्राजसिंह के वारिसान हैं। इन्द्रसिंह के पांच पुत्र संतान कानसिंह, नारायणसिंह, गणेशसिंह, सुरजनसिंह, रामकुंवारसिंह उत्पन्न हुये है ये भी फौत हो चुके है तथा पक्षकारान उपरोक्तानुसार आपस में एक ही परिवार के है तथा उक्त वर्णित भूमि पक्षकारान की पारिवारिक भूमिया हैं। उक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के बुजुर्गान की अर्थात [illegible] मृतक पूर्वज कानसिंह, नारायणसिंह, गणेशसिंह, सुरजनसिंह, रामकुंवारसिंह के जीवनकाल में ही अर्थात 50 वर्ष से भी अधिक पूर्व से बाह्मी पारिवारिक समझौता होकर उपरोक्त भूमि को अलग–अलग बांटकर अलग–अलग काश्त करते आ रहे है। पक्षकारान में उक्त वर्णित भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमियां भी हैं सभी भूमियों को बाह्मी पारिवारिक समझौते के अनुसार अलग–अलग बांटकर मौके पर अलग–अलग काबिज काश्त चले आ रहे हैं। बाह्मी पारिवारिक समझौता के अनुसार उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वर्णित भूमि खसरा नम्बर 6509 रकबा 1.45 हैक्टर मे से 0.77 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 12 के हिस्से मे व शेष 1/2 हिस्सा श्रवणसिंह प्रतिवादीगण नम्बर 28 के हिस्से मे आकर काबिज काश्त चले आ रहे हैं व भूमि खसरा नम्बर 6509 का शेष रकबा 0.68 हैक्टर का 1/2 हिस्सा का रकबा प्रतिवादीगण नम्बर 22 ता 25 मूलसिंह के वारिसान के हक हिस्से कब्जे मे आया हुवा हैं व शेष 1/2 हिस्से का रकबा प्रतिवादीगण नम्बर 13 से 16 के हिस्से व कब्जे मे बंटवारा समझौता अनुसार आया हुआ हैं।इसी प्रकार खसरा नम्बर 6511 रकबा 0.60 हैक्टर मे से 0.51 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा का रकबा प्रतिवादीगण नम्बर 13 ता 16 प्रहलादसिंह के वारिसान के हक हिस्से मे व 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 22 ता 25 के हक हिस्से व बंटवारा मे आकर कब्जे काश्त चले आ रहे हैं व भूमि खसरा नम्बर 6511 का शेष रकबा 0.09 हैक्टर रकबा पर प्रतिवादी नम्बर 29 खरीदकर काबिज काश्त हैं इसके अलावा खसरा नम्बर 6512 सम्पूर्ण, 6513 सम्पूर्ण, 6514 सम्पूर्ण, 6515 सम्पूर्ण व 6517 सम्पूर्ण कुल रकबा 1.18 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 29 खरीदकर काबिज काश्त चली आ रही हैं व भूमि खसरा नम्बर 6693, 6694 व 6695 के 1/3 हिस्सा की भूमि वादी व तरतीबी पक्षकार नम्बर 33, 34, 35 के बहिस्सा बराबर हक हिस्से व कब्जे मे रही हैं व 1/3 हिस्सा की भूमि उपरोक्त तीनों खसरा नम्बरान की प्रतिवादी नम्बर 26 मोहनसिंह के हक हिस्से व कब्जे मे व शेष 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 28 श्रवणसिंह उर्फ सरवनसिंह के हिस्से में आई व शेष 1/6 हिस्सा उपरोक्त तीनो खसरा नम्बरान की भूमि मे से दीनसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 12 के हक हिस्से व कब्जे मे आई हुई हैं व इसी प्रकार खसरा नम्बर 7595 रकबा 0.68 हैक्टर मे से 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 28 सरवनसिंह उर्फ श्रवणसिंह के हक हिस्से व कब्जे मे आई हुई हैं व शेष 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 12 दीनसिंह के वारिसान के हक हिस्से बंटवारा मे आई हुयी हैं। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित भूमि को उपरोक्तानुसार मौके पर बांटकर अलग–अलग काश्त करते चले आ रहे हैं। पक्षकारान अपने–अपने पूर्वजो के समय से हुये बाह्मी पारिवारिक समझौता अर्थात चालीस वर्ष से भी अधिक समय पूर्व से इसी अनुसार भूमियों [illegible] कदीमी बुरी के हिसाब से अपने हिस्से मे आयी भूमियों पर काबिज काश्त कदीम से चले आ रहे हैं तथा उक्तानुसार उक्त भूमियों में दर्ज मृतक खातेदार[illegible] हजफ कराकर खातेदारी दर्ज कराने व एक दूसरे के हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी हैं व उपरोक्तानुसार शेष पक्षकारान का नाम हजफ किया जाना न्यायोचित हैं। पक्षकारान उपरोक्तानुसार कदीमी बाह्मी पारिवारिक समझौता के अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमियो पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

23/1/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
सवाईमाधोपुर

खातेदारी के अभाव में वादी, खातेदारो को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओ का लाभ नही उठा पा रहे है, ना ही खातेदारी के अभाव में अपनी भूमियो का समुचित विकास कर पा रहे हैं। पूर्व में पक्षकारान के मध्य आपस में काफी प्रेम व सौहार्द का वातावरण चला आ रहा था परन्तु प्रतिवादीगण के मन में भूमियो की बढ़ती हुयी कीमतो को देखकर बदनियति आ गयी है। अर्सा कदीम एक माह पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण को कदीमी बाहमी परिवारिक समझौते के अनुसार वादी के हिस्से में आयी भूमियो की खातेदारी उनके नाम दर्ज करवाने बाबत कहा तो वे पहले तो हां करते रहे व विश्वास दिलाते रहे। अब दिनांक 20.06.2023 को स्पष्ट इन्कार हो गये व वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में मजाहमत करने पर आमादा हो गये। यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। जमीनों की बढ़ती कीमतों के कारण प्रतिवादीगण के मन में बेइमानी आ गई है एंव प्रतिवादीगण, वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लग गये हैं व आये दिन भूमाफिया व्यक्तियों को उक्त भूमि को बेचान करने के लिए लाते हैं एंव प्रतिवादीगण, वादीगण को उक्त भूमि को हस्तान्तरण करने की कुचेष्टा में हैं व वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी भी दे रहे हैं इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित होगा।वाद कारण दिनांक 20.06.2023 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के नाम खातेदारी दुरूस्त कराने से इन्कार होने व वादी के हिस्से में बाहमी पारिवारिक समझौते अनुसार आयी भूमियो में शांतिपूर्ण कब्जे काश्त हक हिस्सा की भूमि में मजाहमत करने व वादीगण को जोर जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने व दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगो को बैचान करने, रहन रखने तथा भूमि को खुर्दबुर्द करने तथा कृषि भूमि से अकृषि मे तब्दील करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है व लगातार हो रहा है। वादी अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 6509, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6693, 6694, 6695, 7595 कुल किता 12 कुल रकबा 5.02 हैक्टर अलमशहुर ढल्या का ढेर तन् ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादी एवं प्रतिवादीगण में भूमि खसरा नम्बर 6509 रकबा 1.45 हैक्टर मे से 0.77 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 12 के हिस्से मे व शेष 1/2 हिस्सा श्रवणसिंह प्रतिवादीगण नम्बर 28 के हिस्से मे आकर काबिज काश्त चले आ रहे हैं व भूमि खसरा नम्बर 6509 का शेष रकबा 0.68 हैक्टर का 1/2 हिस्सा का रकबा प्रतिवादीगण नम्बर 22 ता 25 मूलसिंह के वारिसान के हक हिस्से कब्जे मे आया हुवा हैं व शेष 1/2 हिस्से का रकबा प्रतिवादीगण नम्बर 13 से 16 के हिस्से व कब्जे मे बंटवारा समझौता अनुसार आया हुआ हैं।इसी प्रकार खसरा नम्बर 6511 रकबा 0.60 हैक्टर मे से 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

51 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा का रकबा प्रतिवादीगण नम्बर 13 ता 16 प्रहलादसिंह के वारिसान के हक हिस्से मे व 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 22 ता 25 के हक हिस्से व बंटवारा मे आकर कब्जे काश्त चले आ रहे है व भूमि खसरा नम्बर 6511 का शेष रकबा 0.09 हैक्टर रकबा पर प्रतिवादी नम्बर 29 खरीदकर काबिज काश्त हैं इसके अलावा खसरा नम्बर 6512 सम्पूर्ण, 6513 सम्पूर्ण, 6514 सम्पूर्ण, 6515 सम्पूर्ण व 6517 सम्पूर्ण कुल रकबा 1.18 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 29 खरीदकर काबिज काश्त चली आ रही हैं व भूमि खसरा नम्बर 6693, 6694 व 6695 के 1/3 हिस्सा की भूमि वादी व तरतीबी पक्षकार नम्बर 33, 34, 35 के बहिस्सा बराबर हक हिस्से व कब्जे मे रही हैं व 1/3 हिस्सा की भूमि उपरोक्त तीनों खसरा नम्बरान की प्रतिवादी नम्बर 26 मोहनसिंह के हक हिस्से व कब्जे मे व शेष 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 28 श्रवणसिंह उर्फ सरवनसिंह के हिस्से में आई व शेष 1/6 हिस्सा उपरोक्त तीनो खसरा नम्बरान की भूमि मे से दीनसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 12 के हक हिस्से व कब्जे मे आई हुई हैं व इसी प्रकार खसरा नम्बर 7595 रकबा 0.68 हैक्टर मे से 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 28 सरवनसिंह उर्फ श्रवणसिंह के हक हिस्से व कब्जे मे आई हुई हैं व शेष 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 12 दीनसिंह के वारिसान के हक हिस्से बंटवारा मे आई हुयी हैं। पक्षकारान को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर एक दूसरे पक्षकार के हक हिस्से में आयी हुयी भूमि से अन्य पक्षकारान का नाम हजफ फरमाते हुये पक्षकारान के मध्य उपरोक्तानुसर भूमियो का बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिक विभाजन किया जाकर खातेदार अलग–अलग बट्टा नम्बर डालकर लगान कायम कर नक्शा ट्रेश मे तरमीम किया जाकर तदनुसार मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती फरमाई जावेंएवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया करवाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 29 ता 32 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 की ओर से श्री मोहन लाल यादव एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। वकील वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 23 व 24 का नाम लाल स्याही से दुरूस्त कर जीतू कंवर पुत्र स्व. मूलसिंह व नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. मूलसिंह के स्थान पर क्रमशः जीतू सिंह पुत्र स्व. मूलसिंह व सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. मूलसिंह किया गया। वकील वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

ने उपस्थित होकर पक्षकारान् की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादी की पहचान वकील वादी श्री अनिल यादव एड0 ने की एवं उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 28 की पहचान श्री बजरंग लाल यादव ने की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान ने सुन व समझकर स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।वकील वादी वपक्षकारान ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में पक्षकारान द्वारा आपसी समझौता/राजीनामा पेश होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 जमाबंदी, राजीनामा इत्यादि का अवलोकन किया गया।जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 29, तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 33 ता 35 व इनके बुजुर्गान के नाम हिस्सानुसार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होना प्रकट होता है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए आपसी समझौते/राजीनामा अनुसारभूमि खसरा नम्बर 6509 रकबा 1.45 हैक्टर मे से 0.77 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 12 के हिस्से मे व शेष 1/2 हिस्सा श्रवणसिंह प्रतिवादीगण नम्बर 28 के हिस्से मे आकर काबिज काश्त चले आ रहे हैं व भूमि खसरा नम्बर 6509 का शेष रकबा 0.68 हैक्टर का 1/2 हिस्सा का रकबा प्रतिवादीगण नम्बर 22 ता 25 मूलसिंह के वारिसान के हक हिस्से कब्जे मे आया हुवा हैं व शेष 1/2 हिस्से का रकबा प्रतिवादीगण नम्बर 13 से 16 के हिस्से व कब्जे मे बंटवारा समझौता अनुसार आया हुआ हैं।इसी प्रकार खसरा नम्बर 6511 रकबा 0.60 हैक्टर मे से 0.51 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा का रकबा प्रतिवादीगण नम्बर 13 ता 16 प्रहलादसिंह के वारिसान के हक हिस्से मे व 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 22 ता 25 के हक हिस्से व बंटवारा मे आकर कब्जे काश्त चले आ रहे हैं व भूमि खसरा नम्बर 6511 का शेष रकबा 0.09 हैक्टर रकबा पर प्रतिवादी नम्बर 29 खरीदकर काबिज काश्त हैं इसके अलावा खसरा नम्बर 6512 सम्पूर्ण, 6513 सम्पूर्ण, 6514 सम्पूर्ण, 6515 सम्पूर्ण व 6517 सम्पूर्ण कुल रकबा 18 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 29 खरीदकर काबिज काश्त चले आ रहे है व भूमि खसरा नम्बर 6693, 6694 व 6695 के 1/3 हिस्सा की भूमि वादी व तरतीबी पक्षकार नम्बर 33, 34, 35 के बहिस्सा बराबर हक हिस्से व कब्जे मे रही हैं व 1/3 हिस्सा की भूमि उपरोक्त तीनों खसरा नम्बरान की प्रतिवादी नम्बर 26 मोहनसिंह के हक हिस्से व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कब्जे मे व शेष 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 28 श्रवणसिंह उर्फ सरवनसिंह के हिस्से में आई व शेष 1/6 हिस्सा उपरोक्त तीनो खसरा नम्बरान की भूमि मे से दीनसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 12 के हक हिस्से व कब्जे मे आई हुई है व इसी प्रकार खसरा नम्बर 7595 रकबा 0.68 हैक्टर मे से 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 28 सरवनसिंह उर्फ श्रवणसिंह के हक हिस्से व कब्जे मे आई हुई हैं व शेष 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 12 दीनसिंह के वारिसान के हक हिस्से बंटवारा मे आई हुयी हैं।उक्तानुसार उपरोक्त भूमियों में खातेदारी अंकित होती है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति किसी किश्म की नहीं है।उक्तानुसार राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् ईस्तकरार हक, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की कृषि भूमि खसरा नम्बर 6509 रकबा 1.45 हैक्टर मे से 0.77 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 12 को, शेष 1/2 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 28 को व भूमि खसरा नम्बर 6509 का शेष रकबा 0.68 हैक्टर के 1/2 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 22 ता 25 को व शेष 1/2 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 13 ता 16 को एवं भूमि खसरा नम्बर 6511 रकबा 0.60 हैक्टर मे से 0.51 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 13 ता 16 को, 1/2 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 22 ता 25 को एवं भूमि खसरा नम्बर 6511 का शेष रकबा 0.09 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 6512 सम्पूर्ण, 6513 सम्पूर्ण, 6514 सम्पूर्ण, 6515 सम्पूर्ण व 6517 सम्पूर्ण कुल रकबा 1.18 हैक्टर का प्रतिवादी नम्बर 29 कोएवं भूमि खसरा नम्बर 6693, 6694 व 6695 के 1/3 हिस्सा की भूमि का वादी व तरतीबी पक्षकार नम्बर 33, 34, 35 को बहिस्सा बराबर, 1/3 हिस्सा की भूमि का प्रतिवादी नम्बर 26 को, शेष 1/6 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 28 को, शेष 1/6 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 12 को एवं भूमि खसरा नम्बर 7595 रकबा 0.68 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 28 को, शेष 1/2 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 12 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियों से एक–दूसरे पक्षकारान के हक हिस्से मे आयी हुई भूमि से अन्य पक्षकारान का नाम राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

रिकार्ड से हजफ किया जाकरराजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने एवं जिस पक्षकारान की भूमि प्रतिवादी संख्या 32 के रहननामा नहीं है, रहननामा हटाया जाकर उक्त भूमि रहन मुक्त की जाकर, जिस पक्षकारान की भूमि प्रतिवादी संख्या 32 के रहननामा है, रहननामा बदस्तूर रखे जाने का आदेश दिया जाकर राजीनामा को डिक्री का भाग बनाया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

27/12/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/12/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested